

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-235103003402011

व्यवहार वाद क्रं.-70ए/16

संस्थापित दिनांक-18.03.10

1.सुखनंदन पुत्र प्रेमनारायण आयु 50 साल जाति राय धंधा खेती निवासी ग्राम तारई तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....वादी</div>
विरुद्ध
1.बाबूलाल पुत्र हरलाल आयु 62 साल जाति राय धंधा खेती 2.सुग्रीव पुत्र हरीराम आयु 35 साल जाति राय धंधा खेती 3.प्रदीप पुत्र हरीराम आयु 25 साल जाति राय धंधा खेती 4.रामेश्वर पुत्र शिवप्रसाद आयु 60 साल जाति राय धंधा खेती सर्व निवासीगण ग्राम लुहारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र. । प्रतिवादी क्रमांक 4 वर्तमान में घास मंडी ग्वालियर म0प्र0 । <div>.....प्रतिवादीगण</div>
5.म.प्र. राज्य द्वारा श्रीमान जिलाधीश महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>..... औपचारिक प्रतिवादी</div>
वादी द्वारा श्री पठान अधिवक्ता । प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता । प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा श्री जाफरी अधिवक्ता । प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 5 पूर्व से एकपक्षीय ।

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 19.04.2017 को घोषित)

01. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम लुहारी तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 56, सर्वे क्रमांक 64, सर्वे क्रमांक 113, सर्वे क्रमांक 136, सर्वे क्रमांक 150, सर्वे क्रमांक 234, सर्वे क्रमांक 239, सर्वे क्रमांक 195, सर्वे क्रमांक 196, के 1/3 भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) तथा ग्राम भीकली तहसील चंदेरी स्थित सर्वे क्रमांक 325, सर्वे क्रमांक 327 के 1/3 भाग (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर स्वत्व घोषणा एवं अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2009, तहसीलदार चंदेरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.1987 एवं 24.09.2009 को शून्य घोषित किये जाने बावत् प्रस्तुत किया है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि बाबूलाल, शिवप्रसाद, बारेलाल के स्वत्व की भूमि थी। वादी के अनुसार ग्राम लुहारी की भूमि में बारेलाल का 4.069 हैक्टेयर हिस्सा था तथा ग्राम भीकली की भूमि में बारेलाल का 0.926 हैक्टेयर हिस्सा था और इस प्रकार बारेलाल के हिस्से की 1/3 भाग भूमि विवादित भूमि है। वादी के अनुसार बारेलाल का विवाह नहीं हुआ था तथा उसे आंखों से नहीं दिखता था और वादी हरलाल का पुत्र है एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 के अतिरिक्त हरलाल का एक पुत्र लक्ष्मण और था जिसकी मृत्यु हो गई है। वादी के अनुसार वह राधेश्याम की अवयस्क संतानों का संरक्षक है। वादी के अनुसार बारेलाल के 1/3 भाग में वादी का नाम है किन्तु गलती से प्रतिवादी क्रमांक 01 नाम उस पर अंकित हो गया है। वादी के अनुसार वह बारेलाल की बहन गुलाबबाई का पुत्र है तथा बारेलाल निःसंतान थे इस कारण वह बारेलाल के पास रहता था और उनकी सेवा की जिससे प्रसन्न होकर बारेलाल ने उक्त विवादित भूमि का वसीयतनामा वादी के हित में

संपादित कर दिया था।

4. वादी ने अपने वादपत्र अभिवचित किया है कि बारेलाल की मृत्यु के बाद उक्त विवादित भूमि पर नामांतरण करने के लिए उसने निवेदन किया था जिसके आधार पर उसका नाम नामांतरण स्वीकार किया गया। वादी के अनुसार हरलाल ने नामांतरण आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की थी जो निरस्त कर दी गई तथा अपर आयुक्त ग्वालियर ने प्रतिवादी क्रमांक 01 के नामांतरण आदेश दिया जिसके संबंध में वादी ने राजस्व मंडल ग्वालियर में अपील की। वादी के अनुसार तहसीलदार चंदेरी ने अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा पारित आदेश के पालन में विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का विधि विरुद्ध तरीके से संपादित कर दिया जो कि वादी के मुकाबले शून्य है। अतः उपरोक्त आधार पर वादी ने उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किये जाने और साथ ही अपर आयुक्त ग्वालियर, तहसीलदार चंदेरी द्वारा पारित आदेश को शून्य घोषित किये जाने बावत् डिक्री पारित करने का निवेदन किया है।

05. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादी ने प्रकरण में वादाधार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और न ही प्रस्तुत करने का कोई दिनांक बताया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादी विरोधाभासी अभिवचन अपने वादपत्र में किये हैं। अतः उक्त आधारों पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को निरस्त करने का निवेदन किया है।

06. वादी एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादी ग्राम लोहारी तहसील चंदेरी स्थित सर्वे क्रमांक 56, 64, 113, 136, 150, 234, 239, 195, 196 कुल क. 9 कुल रकवा 12.206 हैक्टेयर में बारेलाल के 1/3 भाग (4.069 हे.) तथा ग्राम भीलरी की भूमि सर्वे क्रमांक 325, 327, कुल क. 2 कुल रकवा 2.779 हैक्टेयर में बारेलाल के 1/3 भाग (0.926 हैक्टेयर) का स्वामित्वधारी है ?	“नहीं”
02.	क्या अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10.02.09, तहसील चंदेरी का आदेश क्रमांक 6-7-87, एवं 24-9-09 वादी के मुकाबले शून्य है ?	“नहीं”
03.	क्या वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	“हॉ”
04.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादी का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07. वादी ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 सुखनंदन, वा.सा. 02 बाबूलाल, वा.सा. 03 राजाराम की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र०पी० 01 लगायत प्र०पी० 11 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 बाबूलाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र०डी० 01 लगायत प्र०डी० 07 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए हैं।

08. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद

प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निराकरण पृथक से किया जा रहा है।

—:: वादप्रश्न क्र. 01 लगायत 03 ::—

09. वा.सा. 01 सुखनंदन ने अपने कथन में बताया है कि बारेलाल उसके नाना थे। जिनकी मृत्यु वर्ष 1983 में हुई है। उक्त साक्षी के अनुसार वे जन्मान्ध थे तथा वह उनके पास रहता था क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था और उनकी कोई संतान नहीं थी। वा.सा. 01 के अनुसार बारेलाल सगे तीन भाई थे तथा उनके दो अन्य भाइयों का नाम शिवप्रसाद एवं हरलाल था। उक्त साक्षी के अनुसार हरलाल की मृत्यु हो गई है तथा प्रतिवादी बाबूलाल एवं लक्ष्मण हैं जिसमें से लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। वा.सा. 01 के अनुसार शिवप्रसाद के दो पुत्र रामेश्वर तथा हरीराम हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त तीनों भाइयों का उक्त विवादित भूमि में बराबर हिस्सा था जिसमें से बारेलाल ने अपने हिस्से की वसीयत उसके पक्ष में कर दी थी जिसके संबंध में उसने अपना नामांतरण कराया था, किन्तु प्रतिवादी द्वारा की गई अपील में अपर आयुक्त ने उसके नामांतरण को निरस्त कर दिया था जिसके विरुद्ध उसने राजस्व मंडल में अपील की थी। उक्त साक्षी के अनुसार बाबूलाल ने अपने नाम का लाभ उठाकर बटांकन करा लिया है तथा भूमि नंदलाल एवं राजकुमार को विक्रय कर दी है। उक्त साक्षी के अनुसार बारेलाल ने दिनांक 28.08.1983 को उसे गोद लिया था तथा उसने गोदनामा के आधार पर नामांतरण करा लिया। उक्त साक्षी के अनुसार बारेलाल की मृत्यु कैसे हुई उसे जानकारी नहीं है। वा.सा. 01 के अनुसार गोदनामा की लिखा-पढ़ी हुई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने अपने वादपत्र में गोदनामे के बारे में लिखाया था।

10. वा.सा. 02 बाबूलाल एवं वा.सा. 03 राजाराम ने अपने कथन में बताया कि वे वादी एवं प्रतिवादीगण को जानते हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार वादी बारेलाल के पास रहता था तथा बारेलाल ने अपनी भूमि वादी को दे दी थी। अपने प्रतिपरीक्षण में दोनों साक्षीगणों का कहना है कि बारेलाल की मृत्यु कब हुई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। दोनों साक्षीगणों के अनुसार विवादित भूमि कागजों

में किसके नाम है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है।

11. वा.सा. 01 बाबूलाल के अनुसार वह उक्त विवादित भूमि का वारिस है तथा वादी विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार वादी ने उसे परेशान करने की नीयत से दावा प्रस्तुत किया है। उक्त साक्षी के अनुसार बारेलाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित भूमि उसके नाम आई। उक्त साक्षी के अनुसार उसके नामांतरण के विरुद्ध वादी ने कोई आपत्ति नहीं की।

12. वादी की ओर से जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 को उक्त विवादित भूमि के दस्तावेजों की कोई जानकारी नहीं है। वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 साक्ष्य से ऐसा प्रकट हो रहा है कि दोनों साक्षीगण वादी को जानते हैं इसलिये उनके द्वारा वादी के पक्ष में कथन किया गया है। यहां पर उल्लेखनीय है कि वा.सा. 02 एवं वा.सा. 03 की साक्ष्य के आधार पर उक्त विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में कोई निष्कर्ष देना समीचीन प्रतीत नहीं होता। जहां तक वा.सा. 01 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी ने अपने वादपत्र के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है। उक्त साक्षी के अनुसार बारेलाल ने उसे गोद लिया था वहीं अपने वादपत्र तथा मुख्यपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि बारेलाल ने उक्त विवादित भूमि के संबंध में वसीयतनामा उसके पक्ष में संपादित किया था। इस प्रकार वादी की स्वयं की साक्ष्य विरोधाभासी है, क्योंकि वादी ने अपने कथनों में नये तथ्यों का उल्लेख किया है जबकि गोदनामे से संबंधित तथ्यों का कोई उल्लेख वादपत्र या शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में नहीं किया गया है। वादी ने जो दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं उनमें प्र0पी0 01 किस्तबंद खतौनी है। उक्त खतौनी ग्राम लुहारी से संबंधित है। उक्त खतौनी पर वादी का नाम कब्जेदार के रूप में दर्ज है तथा उक्त खतौनी वर्ष 2001, 2002 से संबंधित है। प्र0पी0 02 न्यायालय तहसीलदार के आदेश हैं जिसमें उक्त विवादित भूमि बाबूलाल के स्वत्व के होने के संबंध में आदेश दिया गया है।

13. प्र0पी0 03 लगायत प्र0पी0 06 वादपत्र तथा आदेश पत्रिकाएं हैं। प्र0पी007 रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है। उक्त दस्तावेजों में से एक

भी दस्तावेज के आधार पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वादी उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है। उल्लेखनीय है कि प्र०पी० ०८ माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत रिट से संबंधित आदेश है तथा प्र०पी० ११ में रिट को निरस्त किया गया है। उपरोक्त दस्तोवेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज वादी द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी ने अपने वादपत्र में अभिवचित किया है कि उसे उक्त विवादित भूमि में स्वत्व वसीयतनामे के आधार पर प्राप्त हुए हैं, किन्तु वादी द्वारा कोई भी वसीयतनामा न तो अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है और न ही उसे प्रमाणित किया गया है। वादी ने अपने कथनों में कथन किया है कि बारेलाल ने उसे गोद लिया था किन्तु वादी द्वारा कोई भी गोदनामा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी बारेलाल का पुत्र नहीं है और इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वह सर्वप्रथम बारेलाल की स्वत्व की भूमि में उत्तराधिकारी के रूप में स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी के अनुसार बारेलाल तीन भाई थे तथा उक्त विवादित भूमि तीनों भाईयों की थी। यद्यपि बारेलाल निःसंतान था, किन्तु उसके दो अन्य भाई हरलाल एवं शिवप्रसाद की सभी संतानों को वादी ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, क्योंकि उन सबका उक्त विवादित भूमि से संबंध है तथा सभी पक्षकारों की उपस्थिति के पश्चात् ही स्वत्व संबंधी विवाद का पूर्णरूप से निराकरण हो सकता है।

14. उपरोक्त समस्त विवेचन के प्रकाश में निर्देशित किया जाता है कि वादी की साक्ष्य न केवल विरोधाभासी रही है बल्कि वादी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसका उक्त विवादित भूमि में स्वत्व है और इस प्रकार अपर आयुक्त ग्वालियर तथा तहसीलदार चंदेरी द्वारा पारित आदेश को वह शून्य घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक ०१ एवं ०२ नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं तथा वादप्रश्न क्रमांक ०३ सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्र.-04 ::—

15. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सब्यय निरस्त किया जाता है।

16. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।

उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चंदेरी, जिला अशोकनगर